न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 233/2012

सायलान :-

1. लिखमाराम पुत्र सुजा
2. रेवतराम पुत्र सुजा
3. सुवटी बेवा शिवदान
4. माधु पुत्र बोदूराम
5. जियाराम पुत्र बोदूराम
6. बिदामी बेवा बगदाराम
7. अमराराम पुत्र बगदाराम
8. बिदामी बेवा बगदाराम
9. गोपाल पुत्र रामबक्श

जातियान रेगर निवासीगण बलाड़ा, तहसील-जैतारण (पाली)

बनाम

गै0सा0 :-

1. रामपाल पुत्र घीसाराम
2. चोलाराम पुत्र घीसाराम
3. पेमला पुत्र डुंगा
4. नवला पुत्र डुंगा
5. तिजाई बेवा बूधिया
6. रूपा पुत्र बुधिया
7. छितरराम पुत्र बुधिया
8. विदेशराम पुत्र बुधिया
9. अर्जुन पुत्र बुधिया
10. मुकेश पुत्र बुधिया

नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता तिजाई बेवा बुधिया जातियान रेगर निवासीगण बलाड़ा तहसील-जैतारण

11. तहसीलदार, जैतारण

भूमिधारी राजस्थान सरकार

12. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

13. भूण्डाराम पुत्र गुलाराम

जाति-मेघवाल,निवासी-भैसाणा

तहसील-सोजत, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 12/12/2012**

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 23/01/2018**

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बलाड़ा, पटवार क्षेत्र-बलाड़ा, तहसील-जैतारण में हम सायलान् व गैरसायलान् के खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं. 1162 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा नं. 1163 रकबा 9-12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नं. 1431 रकबा 8-19 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 25-11 बीघा आयी हुई हैं। जिसमें हम सायलान् का 1/3 हिस्सा तथा गैरसायल सं. 1व2 का 1/3 हिस्सा हैं। गैरसायल सं. 3 से 10 तक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केवल गैरसायल सं. 1व2 के पिता घीसाराम का नाम ही इनद्राज हैं, जबकि उक्त कृषि भूमि पैतृक व पुस्तैनी होने से सुजा के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान सायलान् का नाम भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होना चाहिए। मौजा-बलाड़ा में खसरा न. 1161 रकबा 16-17 बीघा किस्म बारानी दोयम आयी हुई हैं। जिसमें भी हम सायलान् का 1/3 हिस्सा व गैरसायल सं. 1व2 का 1/3 हिस्सा तथा गैरसायल सं.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3 से 10 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। तथा इसी हिस्से अनुसार मौके पर सायलान् व गैरसायलान् उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केवल गैरसायलान् के पिता घीसिया पुत्र लिछ्मण 2/3, बुधिया, पेमला, नवला पि. डुंगा 1/3 कौम रेगबर का नाम ही इन्द्राज हैं, नकल प्रमाणित फोटोप्रतियां जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, 2032 से 2035, 2035 से 2039, 2041 से 2044, 2045 से 2048, 2049 से 2052, 2053 से 2056, 2057 से 2060, 2065 से 2068 की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। सायलान् व गैरसालान् एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा लिछ्मण के उत्तराधिकारी वारिसान जो वंश वृक्षावली अनुसार लिछ्मण पुत्र रतना रेगर (फौत) के वारिसान सुजा (फौत), घीसा (फौत), डूंगा (फौत) हुए तथा सुजा (फौत) के वारिसान शिवदान पुत्र (फौत) की पत्नि सुवटी (पुत्रवधू), बोदूराम पुत्र (फौत) माधु (पौत्र), लियाराम (पौत्र), बगदाराम पुत्र (फौत) पत्नि बिदामी (पुत्रवधू) हुए तथा घीसा (फौत) के वारिसान रामपाल व चौलाराम हुए तथा डूंगा (फौत) के वारिसान पेमला, नवला, बुधिया पत्नि तिजाई, छितरराम, विदेशराम, अर्जुन, मुकेश (पौत्रगण) हुए। इस प्रकार उपरोक्त वंश वंशावली के आधार पर लिछ्मण के विधिक वारिसान हैं। लिछ्मण के सम्पूर्ण आराजी पर सायलान् व गैरसायलान् अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। सायलान् व गैरसायलान् की प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजी पैतृक व पुश्तैनी हैं तथा लिछ्मण कई वर्षो पहले फौत हो चुके हैं तथा उनके जायन्दा तीनों पुत्र क्रमशः सुजा, घीसा व डुंगा भी फौत हो चुके हैं। सायलान् के पिता, दादा व ससुर सुजा पुत्र लिक्षमण 1/3 हिस्से के रेकर्डड खातेदार थे तथा उनका नाम लगातार सेट्लमेंट से संवत् 2028 से 2029 तक के राजस्व रेकर्ड में नाम लगातार चला आ रहा था लेकिन जमाबंदी संवत् 2035 से 2039 बनाते समय सुजा का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया तथा ''घीसिया पुत्र लिछ्मण कौम रेगर पूरा खाता'' का अंकन पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया जो गलत रोंग एन्ट्री हैं जो लगातार जमाबंदिया संवत् 2041 से आज तक में चला आ रहा हैं। इस प्रकार घीसाराम को एक मात्र खातेदार काश्तकार खसरा न. 1162, 1163 व 1431 का बना दिया तथा राजस्व रेकर्ड में से बुधिया पेमला नवला पि. डुंगा 1/3 हिस्सा व सुजा 1/3 हिसा हटा दिया। तथा खसरा न. 1161 में भी सुजा का 1/3 हिस्सा हटा दिया। जो रोंग एन्ट्री लगातार चली आ रही हैं। जिसे दुरूस्त किया जा कर सायलान् का नाम सुजा के 1/3 हिस्से के माफिक इन्द्राज किया जाना न्यायतन आवश्यक हैं। इसलिए सायलान् ने यह घोषणा का वाद पत्र विरूद्व गैरसायलान् के पेश किया हैं। गैरसायल सं. 1व2 घीसाराम के जायन्दा पुत्रगण हैं तथा घीसाराम विगत एक वर्ष पूर्व ही फौत हुआ हैं तब घीसाराम का बड़ा पुत्र गैरसायल सं. 1 रामपाल हैं जो विगत 30वर्षो से राजस्व कर्मचारी के रूप में पट्वारी के पद पर रहा तथा अब आर.आई. के पद पर कार्यरत हैं जिसने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व रेकर्ड में से सुजा पुत्र लिछ्मण का नाम हटवा दिया हैं। उक्त बात की जानकारी सायलान् को नही होने दी। केवल राजस्व रेकर्ड में रोंग ऐन्ट्री करवा दी जबकि मौके पर सुजा ने अपने जीवनकाल में माफिक 1/3 हिस्से के अनुसार काश्त की तथा सुजा के फौत होने के बाद उसके जायन्दा पुत्रों ने काश्त की तथा वर्तमान में सायलान् काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इस प्रकार केवल राजस्व रेकर्ड में सायलान् का नाम अंकित नही हैं। जबकि मौके पर सायलान् का ही कब्जा काश्त हैं। राजस्व रेकर्ड में रोंग ऐन्ट्री के आधार पर गैरसायलान् सं. 1 व 2 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज हो गया हैं इसलिए बाले बाले उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं। वर्तमान में उक्त आराजी को प्राईवेट

खण्ड अधिकारी
तारण (पाली)

कम्पनियों द्वारा सीमेंट फेक्ट्री लगाने हेतु उच्च दरों में खरीदी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में गैरसायलान् प्रलोभित हो गये हैं तथा जल्द ही उक्त आराजी का बेचान करना चाहते हैं। तथा सम्पूर्ण खाता अपने नाम होने से सायलान् को उक्त आराजी में काश्त करने से मना कर दिया हैं तथा जबरन कब्जा छिन कर सायलान् को बेदखल करने पर आमादा हैं। तब सायलान् को प्रथम बार राजस्व रेकर्ड के नकले लेने पर सुजा का नाम हटाने की जानकारी हुई व दोनों पक्षों के बीच आपस में मन मुटाव हो गया फिर भी सायलान् ने गैरसायलान् के साथ आपस में प्रेम भाव बना रहने हेतु राजस्व रेकर्ड की रॉग एन्ट्री आपसी सहमती से सुधरवाने का निवेदन किया लेकिन गैरसायलान् नही मानें। तथा गैरसायलान् ने दिनांक 15/11/2012 को उक्त आराजी का बाले बाले बेचान करने की धमकी दी हैं। यदि नही गैरसायलान् ने उक्त आराजी का बेचान करने हेतु किसी अजनबी केता से साई के रूपये भी ले लिये हैं। इस प्रकार गैरसायलान् रॉग एन्ट्री के आधार पर अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर देते हैं तो सायलान् को अपने जायज हक हकुकों व साम्पैमिक अधिकारों एवं कब्जा काश्त से महरूम होना पड़ेगा जिससे सायलान् को असिम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर में सम्भव नहीं हैं। गैरसायलान् अपने इस दुष्कृत्य को करने में सफल हो जाते हैं तो सायलान् द्वारा गैरसायलान् के विरूद्व अनेक प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जायेगी। तथा पक्षकारों के बीच अनेक प्रकार की मुकदमें बाजी बढ़ेगी मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग होगी। इसलिए गैरसायलान् को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को किसी अजनबी केता को बेचान बक्शीस रहन हस्तांतरण नही करे तथा सायलान् के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नही करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना न्यायतन आवश्यक हैं। तथा गैरसायलान् के द्वारा दौराने दावा उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य अजनबी केता को बेचान करने के लिये गैरसायल सं.12 के समक्ष बेचान रजिस्ट्री पेश करे तो उसका पंजीयन नही करें। अगर बेचान रजिस्ट्री किसी अन्य अजनबी केता के पक्ष में गैरसायलान् द्वारा कर दिया जावे तो गैरसायल सं. 11 द्वारा बेचान रजिस्ट्री के आधार पर अजनबी केता का म्यूटेशन स्वीकृत नही करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे इस कारण से सायलान् ने गैरसायलान् के विरूद्व यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को तलब किया गया । गै0सा0 संख्या 01 से 02 गै0सा0 संख्या 09 एवं गै0सा0 संख्या 11 व 12 को सम्मन तामील होने पर उपस्थित होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गै0सा0 संख्या 03 से 08 एवं गै0सा0 संख्या 10 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश पंचारिया ने वकालतनामा पेश किया। वकील गै0सा0 ने दरख्वास्त आदेश 01 नियम 10(2) का धारा 151 सीपीसी का पेश किया। वकील सायलान को बार-बार समय दिया जाने पर भी सायलान ने जवाब पेश नहीं करने पर उनके विरूद्व जबाब बंद किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) व धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया गया। सायलान की ओर से संशोधित टाईटल पेश किया गया। वकील गै0सा0 संख्या 13 की ओर से जबाब पेश किया कि मौजा-बलाड़ा में खसरा नम्बर 1162 रकबा 7-00 बीघा में सायलान का 1/3 हिस्सा, गै0सा0 संख्या 01 व 02 का 1/3 हिस्सा गै0सा0 संख्या 03 से 10 का 1/3 हिस्सा हैं। सायलान का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं हैं। वंशावली अपूर्ण हैं। वंशावली अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से साबित करें कि घीसया का पुत्री सीता दाखू को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। सीता की मृत्यु हो गई हैं। पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। बुधाराम के वारिसान दिनेश पुत्र, ममता विमला पुत्रियां को भी पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। पक्षकार नहीं बनाने से वाद पोषणीय नहीं हैं। खसरा नम्बर 1162 की कृषि भूमि में सायलान व गै0सा0 संख्या 03 से 10 का

खण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कोई हक हिस्सा नहीं हैं। कब्जा काश्त की नहीं हैं। गै0सा0 संख्या 01 रामपाल 30 सालों से पटवारी, आर0आई0 होने से रेवेन्यू एजेन्सी से मिलकर सूजा का नाम हटाकर पूरी भूमि घीसा के नाम करना सायलान को जानकारी होने देना रोंग एन्ट्री करवा देना सायलान के पिता व पुत्रों का 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करने 1/3 हिस्से की भूमि पर नहीं करने देना जबरन छीनकर आमदा होना आदि का कथन गलत हैं। गै0सा0 संख्या 01 व 02 ने दिनांक 15/10/2012 को बेचान करने की धमकी नहीं दी हैं। सायलान को उक्त भूमि पर काश्त कब्जा नहीं होने से उनके अधिकारों को असीम हानि से वंचित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। पूर्व में विक्रेता काबिज थ्ज्ञा। गै0सा0 संख्या 13 ने उक्त कृषि भूमि में खाद मिट्टी डालकर उपजाऊ किया। पेड़पौधे लगाए खेत के चारों ओर दीवार की। सायलान का कब्जा नहीं होने से गै0सा0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का हक नहीं हैं। गै0सा0 के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन हैं। सायलान को असीम हानि होने बाबत् कथन मिथ्या हैं। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै0सा0 संख्या 13 ने उक्त जमीन को खरीद रखी हैं। राजस्व अभिलेख के अनुसार जरिये नामान्तरकरण के गै0सा0 संख्या 13 का नाम दर्ज हो चुका हैं। नामान्तरकरण संख्या 648 के अनुसार बेचान करने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया हैं। सायलान का विक्रित भूमि पर कोई अधिकार नहीं हैं। उसके हिस्से की जमीन का विक्रय किया हैं। सायलान को सुविधा का संतुलन प्रतीत नहीं होता हैं। प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में निहित होना नहीं पाया जाता हैं। सायलान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के हैं। सायलान के पक्ष में दिनांक 12/12/2012 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश खारिज किया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। गै0सा0 संख्या 13 ने उक्त जमीन को खरीद रखी हैं। राजस्व अभिलेख के अनुसार जरिये नामान्तरकरण के गै0सा0 संख्या 13 का नाम दर्ज हो चुका हैं। नामान्तरकरण संख्या 648 के अनुसार बेचान करने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया हैं। सायलान का विक्रित भूमि पर कोई अधिकार नहीं हैं। सायलान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के हैं। सायलान के पक्ष में दिनांक 12/12/2012 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)